CNR No.–UPBR050197892019

न्यायालय अपर सिविल जज (सी० डि०)/ए०सी०जे०एम०, कक्ष सं–06 बरेली।

उपस्थित – अंकिता धामा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूलवाद सं०–581/2019

I.C.I.C.I. Bank **बनाम** **अजय चौहान**

दिनांक:–14.12.2024

पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15 क मय शपथपत्र 16 क प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र 15 क पर पूर्व तिथि सुना। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 15 क–

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 15 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी मूलवाद उपरोक्त में वादी की ओर से अधिवक्ता है। यह कि उपरोक्त मूलवाद में वादी बैंक को विपक्षी के पर्याप्त पता न मिल पाने के कारण वादी बैंक उपराक्त मूलवाद को आगे चलाना नही चहाता है, जिस कारण बैंक उपरोक्त मूलवाद को आगे चलाना नही चाहता है। वादी उपरोक्त मूलवाद का वाद वापस लेकर निस्तारण कराना चहाता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मूलवाद को वादी को वापस किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद वर्ष 2019 में धन वसूली के अनुतोष हेतु योजित किया गया था। जिसमें वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी बैंक को विपक्षी के पर्याप्त पता न मिल पाने के कारण का कथन किया है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थिनी/वादी का उपरोक्त वाद वापस किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

चूँकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है, यदि और वह अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। वादी पक्ष द्वारा वाद वापसी का पार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी को वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र 16 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थना–पत्र 15 क, स्वीकार किया जाता है। वादी का **मूलवाद सं० 581/2019 I.C.I.C.I. Bank बनाम अजय चौहान**, बिना शर्त प्रत्याहरित किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही पश्चात्, पत्रावली नियमानुार अभिलेखागार प्रेषित हो।

(अंकिता धामा) UP2329

अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०

कक्ष सं०–6, बरेली।

Digitally signed by ANKITA DHAMA
Date: 2024.12.14 05:57:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court